



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 146697

AY 146697



(10)

नुकसान मय हर्जे व खर्चे के विक्रेता या वारिसान विक्रेता या विक्रेता की दीगर सम्पत्ति से जिस तरह चाहे बजरिये अदालत वसूल कर ले। जिससे विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति ना होगी। कानूनन इस बैनामें की कुल

नीलम चौधरी

Tarun Kumar Singh

